रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264404
CG-DL-E-05072025-264404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947
No. 403] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

IndiaCode

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 446(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और धारा 25 के अधीन अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 121(अ), तारीख 7 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रम संख्या 5क के सामने, स्तम्भ 4 में, मद II के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, किसी आदेश द्वारा, उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए जो अभिलिखित किए जाएं, तापीय विद्युतीय संयंत्रों को कुलिंग टावरों की स्थापना से छूट दे सकेगा"।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू (भाग)]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2025

G.S.R. 446(E).—Whereas, the draft of certain rules to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 was published as required under sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act,1986, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 121(E), dated the 7th February, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft shall be taken into consideration on or after expiry of sixty days from the date of publication in the official Gazette;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule - I, against serial number 5A, in column 4, after item II, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Ministry may, in consultation with the Central Electricity Authority and the Central Pollution Control Board, for reasons to be recorded in writing by an order grant exemption to thermal power plants from installation of Cooling Towers".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW (part)]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.05 11:08:48 +05'30'